रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2011/चैत्र 17, 1933
No. 601] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2011/CHAITRA 17, 1933

## विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2011

**का.आ. 716(अ).**—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

## आदेश

30 मार्च, 2011

एक निर्देश 23 जुलाई, 2010 को किया गया था जिसमें डा० विजय माल्या, संसद सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निर्हरता के प्रश्न पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी;

और भारत के राष्ट्रपति को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन उलसूर, बंगलौर के श्री सतीश बाबू द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है) प्रस्तुत की गई याचिका तारीख 14 जुलाई, 2010 पर एक निर्देश उद्भूत हुआ था जिसमें अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन डा० विजय माल्या, संसद सदस्य (राज्य सभा) की अधिकथित निर्हरता के प्रश्न को उठाया गया था;

और उक्त याचिका में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर याची ने अभिकथन किया है कि डा० माल्या विदेशी राज्यों के प्रति अनुषक्ति और संशक्ति की स्वीकारोक्ति के अधीन हैं और अतः, वह संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन संसद सदस्य के रुप में निरर्हित किए जाने के लिए दायी हैं :-

(i) डा० विजय माल्या, हाल ही में संसद सदस्य के रुप में कर्नाटक से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे;

(ii) डा० माल्या, वर्ष 1988 में अनिवासी भारतीय हुए थे और वह उस यूबी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जो मादक पेय (बीयर और स्प्रिट) का सबसे बड़ा विनिर्माता है और भारत साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न पब्लिक कंपनियों के अध्यक्ष हैं और मई, 2007 में यूबी ग्रुप ने 595 मिलियन पाउंड वाली स्कोच विहिस्की वाइट एंड मैके का अर्जन किया था और उसी वर्ष में डा० माल्या ने एपिक एयरक्राफ्ट, संयुक्त राज्य आधारित एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी, में पर्याप्त विनिधान किया था और वह संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में निवास किए हुए हैं; और

(iii) डा० माल्या ने कर्नाटक में राजनैतिक दल को संसद के सदस्य के रुप में उनको निर्वाचित किए जाने के लिए धन संदत्त किया था और वह आईपीएल क्रिकेट टीम के स्वामी और ऐसे संघ के सदस्य भी हैं जो फोर्स इंडिया फार्मूला वन टीम के स्वामी हैं;

और निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन अपनी यह राय (जो इस आदेश के साथ उपाबंध के रुप में राय उपाबद्ध है) प्रस्तुत की है कि डा० विजय माल्या के विरुद्ध श्री सतीश बाबू की याचिका तारीख 14 जुलाई, 2010, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन पोषणीय नहीं है;

अतः, अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिश्चित करती हूँ कि डा० विजय माल्या के विरुद्ध श्री सतीश बाबू की तारीख 14 जुलाई, 2010 की याचिका पोषणीय नहीं है ।

भारत की राष्ट्रपति

[फा. सं. एच. 11026(1)/2011-विधायी II]

एन. के. नम्पूतिरी, अपर सचिव

उपाबंध

## संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन किए गए राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध

## भारत निर्वाचन आयोग

## निर्वाचन सदन

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

निर्देश:

संविधान के अनुच्छेद 102(1) (घ) के अधीन संसद सदस्य (राज्य सभा) डा0 विजय माल्या की अभिकथित निरर्हता ।

**2010 का निर्देश मामला संख्या 5**

[संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत की राष्ट्रपति से निर्देश]

**राय**

भारत के राष्ट्रपति से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन, तारीख 23 जुलाई, 2010 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था जिसमें डा0 विजय माल्या, संसद सदस्य (राज्य सभा) के अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से राय मांगी गई थी ।

2. भारत के राष्ट्रपति को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन उलसूर, बंगलौर के श्री सतीश बाबू द्वारा अनुच्छेद 102 (1) (घ) के अधीन डा0 विजय माल्या, संसद सदस्य (राज्य सभा) की अधिकथित निर्हरता के प्रश्न को उठाते हुए एक याचिका तारीख 14.7.2010 को प्रस्तुत की गई थी जिसमें उपरोक्त प्रश्न उठाया गया था ।

3. याचिका में याची ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कथन किया है कि:-

(i) डा0 विजय माल्या, हाल ही में, संसद सदस्य के रूप में कर्नाटक से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे ;

(ii) डा0 माल्या, वर्ष 1988 में अनिवासी भारतीय हुए थे । वह उस यूबी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जो मादक पेय (बीयर और स्प्रिट) का सबसे बड़ा विनिर्माता है और भारत साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न पब्लिक कंपनियों के अध्यक्ष हैं और मई, 2007 में यूबी ग्रुप ने 595 मिलियन पाउंड वाली स्कोच विहिस्की वाइट एंड मैके का अर्जन किया था और उसी वर्ष में डा0 माल्या ने एपिक एयरक्राफ्ट,संयुक्त राज्य आधारित एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी, में पर्याप्त विनिधान किया था और वह संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में निवास किए हुए हैं ;

(iii) यह भी अभिकथन किया गया है कि डा0 माल्या ने कर्नाटक में राजनैतिक दल को संसद सदस्य के रूप में उनको निर्वाचित किए जाने के लिए धन संदत्त किया था । इसके अतिरिक्त, याची ने कथन किया है कि डा. माल्या आईपीएल क्रिकेट टीम के स्वामी और ऐसे संघ के सदस्य भी हैं जो फोर्स इंडिया फार्मूला वन टीम के स्वामी हैं ।

याची ने यह अभिकथन किया है कि उपरोक्त तथ्य यह दर्शित करते हैं कि डा0 माल्या विदेशी राज्यों के प्रति अनुषक्ति और संशक्ति की स्वीकारोक्ति के अधीन हैं । इस आधार पर, याची ने प्रतिवाद किया है कि डा0 माल्या, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (घ) के अधीन संसद सदस्य के रूप में निरर्हित किए जाने के लिए दायी हैं ।

4. याची ने याचिका में किए गए उपरोक्त सुस्पष्ट अभिकथनों से भिन्न अभिकथनों को सिद्ध करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । अतः आयोग ने याची को तारीख 17.8.2010 को उस तारीख का, जिससे डा0 माल्या, अभिकथित रूप से विदेशी राज्य के प्रति अनुषक्ति और संशक्ति के अधीन थे, जो प्रकटन करने के लिए और ऐसे दस्तावेज/जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए भी, जिसके द्वारा वह अपना यह प्रतिविरोध/अभिकथन सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित किया है कि डा0 माल्या, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1)(घ) के अर्थान्तर्गत किसी विदेशी राज्य के प्रति अनुषक्ति और संशक्ति की स्वीकारोक्ति के अधीन हैं, सूचना जारी की थी ।

5. उत्तर में, याची ने कथन किया है कि डा0 माल्या, 1988 से विदेशी राज्य में अनुषक्ति या संशक्ति की स्वीकारोक्ति के अधीन हैं और वह आज की तारीख तक विदेशी राज्य में ऐसी अनुषक्ति या संशक्ति की स्वीकारोक्ति के अधीन बने हुए हैं । उसने यह और कथन किया है कि डा0 माल्या, सासोलियो, कैलिफोर्निया में समाचार-पत्र समूह 'मेरिनस्कोप' के भी स्वामी हैं, वह सासोलियो, सीए बैलबैड्रे, टिबुरन, सीए होपलैंड, सेन एंसेल्मो, सीए के निवासी हैं और न्यूयार्क, कोलंबिया में तथा ब्रिटेन में भी निवास और अफ्रीकी देशों में संपत्तियां भी रखते हैं ।

6. तथापि, याची ने न तो यह कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित तथ्य किस प्रकार विदेशी राज्यों में अनुषक्ति या संशक्ति की स्वीकारोक्ति का कारण बनते हैं और न ही अपने प्रतिवादों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है । याची ने, वस्तुतः, यह कथन करने का प्रयास किया है कि विदेशी राज्य में अनुषक्ति के अधीन होने वाले डा0 माल्या के बारे में सभी ब्यौरे इंटरनेट पर खोज से प्राप्त किए जा सके हैं ।

7. उपरोक्त से यह संपरीक्षित होगा कि अस्पष्ट और किसी दस्तावेज से असमर्थित याचिका के अतिरिक्त याची के स्वयं के अनुरोध के अनुसार कि डा. माल्या 1988 से विदेशी राज्य की अनुषक्ति या संशक्ति की स्वीकारोक्ति के अधीन हैं । राज्य सभा में डा0 माल्या की वर्तमान सदस्यता, कर्नाटक राज्य से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन में 17 जून, 2010 को उनके निर्वाचन पर आधारित है । उपरोक्त से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि डा0 माल्या की अभिकथित निरर्हता के मामले में जैसा कि वर्तमान याचिका में कहा गया है पूर्व निर्वाचन निरर्हता का मामला है, यदि सदैव ऐसी निरर्हता होती है ।

8. यह पूर्ण रूप से स्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के आसीन सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न की जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकारिता उसको निर्दिष्ट किए जाने पर ऐसे सदस्य द्वारा उपगत केवल निर्वाचन पश्च निरर्हता के मामले में उद्भूत होती है । पूर्व निर्वाचन निरर्हता का कोई प्रश्न, अर्थात् ऐसी निरर्हता से जिससे कोई सदस्य उसके निर्वाचन के समय पर या उससे पूर्व ग्रस्त था तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के उपबंध के अनुसार प्रस्तुत किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है और ऐसा प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन नहीं उठाया जा सकता है । इस संबंध में निर्देश, माननीय उच्चतम न्यायालय के, निर्वाचन आयोग बनाम साका वेंकटराव (ए.आई.आर.1953 एस.सी.201) ; वृंदावन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (ए.आई.आर.1965 एस.सी. 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1609) आदि विनिश्चयों की श्रृंखला को आकृष्ट करता है। विगत में पूर्व निर्वाचन निरर्हता के प्रश्न को उठाते हुए अन्य समान मामलों की एक बड़ी संख्या में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा उसको किए गए निर्देशों पर समान राय दी है ।

9. भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्राप्त वर्तमान निर्देश, तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के निर्वाचन आयोग की उपरोक्त प्रभाव की इस राय के साथ वापस किया जाता है कि डा0 विजय माल्या के विरुद्ध श्री सतीश बाबू की याचिका तारीख 14.7.2010 भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन पोषणीय नहीं है ।

| ह./- | ह./- | ह./- |
|---|---|---|
| **(एच.एस.ब्रह्मा)** | **(डा0 एस0वाई0कुरैशी)** | **(वी0एस0संपथ)** |
| **निर्वाचन आयुक्त** | **मुख्य निर्वाचन आयुक्त** | **चुनाव आयुक्त** |

स्थान : नई दिल्ली ।
तारीख : 7 दिसंबर, 2010

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Legislative Department)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2011

**S.O. 716(E).**—The following Order made by the President is published for general information :—

**ORDER**

30th March, 2011

Whereas a reference on the 23rd July, 2010 was made seeking the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the

Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Dr. Vijay Mallya, Member of Parliament (Rajya Sabha);

And whereas the reference arose on a petition dated 14th July, 2010, submitted by Shri Satish Babu of Ulsoor, Bangalore (hereinafter referred to as petitioner) to the President of India, under clause (1) of article 103 of the Constitution of India, raising the question of alleged disqualification of Dr. Vijay Mallya, Member of Parliament (Rajya Sabha) under sub-clause (d) of clause (1) of article 102;

And whereas in the said petition, on the basis of the following facts, the petitioner has alleged that Dr. Mallya is under acknowledgment of allegiance and adherence to foreign states and therefore he is liable to be disqualified as a Member of Parliament under sub-clause (d) of clause (1) of article 102 of the Constitution, namely:-

(i) that Dr. Vijay Mallya was recently elected from Karnataka to the Rajya Sabha as a Member of Parliament;

(ii) that Dr. Mallya became a Non-resident Indian in the year 1988 and he is the Chairman of UB Group, which is the largest manufacturer of beverage alcohol (beer and spirits) and Chairman of several Public Companies in India as well as in the United States of America and in May 2007, UB Group acquired Scotch whisky Whyte & Mackay for 595 million pounds and in the same year Dr. Mallya made a significant investment in Epic Aircraft, a US based aircraft manufacturing company and also that he is having residences in U.S.A. and other countries; and

(iii) that Dr. Mallya paid money to a Political Party in Karnataka to get him elected as a Member of Parliament; and he is also the owner of an IPL Cricket Team and a member of the consortium that owns the Force India Formula One Team;

And whereas the Election Commission has tendered its opinion (the opinion annexed as Annexure to this Order) under clause (2) of article 103 of the Constitution that the petition dated 14th July, 2010 of Shri Satish Babu against Dr. Vijay Mallya is not maintainable under clause (1) of article 103 of the Constitution;

Now, therefore, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the petition dated 14th July, 2010 of Shri Satish Babu against Dr. Vijay Mallya is not maintainable.

PRESIDENT OF INDIA
[F. No. H-11026(1)/2011-Leg. II]
N. K. NAMPOOTHIRY, Addl. Secy.

**ANNEXURE**

**Annexure to the Order of the President made under article 103 of the Constitution**

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**NIRVACHAN SADAN**

Ashoka Road, New Delhi-110001

*In re:*

Alleged disqualification of Dr. Vijay Mallya, Member of Parliament (Rajya Sabha) under Article 102 (1) (d) of the Constitution

**Reference Case No. 5 of 2010**

[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution]

# OPINION

This is a reference, dated 23rd July, 2010, received from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Dr. Vijay Mallya, Member of Parliament (Rajya Sabha).

2. The above question arose on a petition dated 14.7.2010, submitted by Shri Satish Babu of Ulsoor, Bangalore to the President of india, under Article 103(1) of the Constitution of India, raising the question of alleged disqualification of Dr. Vijay Mallya, Member of Parliament (Rajya Sabha) under Article 102(1)(d).

3. In the petition, the petitioner has inter-alia stated that:

(i) Dr. Vijay Mallya was recently elected from Karnataka to the Rajya Sabha as a Member of Parliament.

(ii) Dr. Mallya became a Non-resident Indian in the year 1988. He is the Chairman of UB Group, which is the largest manufacturer of beverage alcohol (beer and spirits) and Chairman of several Public Companies in India as well as in the United States of America. In May 2007, UB Group acquired Scotch whisky Whyte & Mackay for 595 million pounds and in the same year Dr. Mallya made a significant investment in Epic Aircraft, a US based aircraft manufacturing company. Dr. Mallya is having residences in U.S.A. and other countries.

(iii) There is also an allegation that Dr. Mallya paid money to a Political Party in Karnataka to get him elected as an MP. Further, the petitioner has stated that Dr. Mallya is also the owner of an IPL Cricket Team and he is also the member of the consortium that owns the Force India Formula One Team.

The petitioner has alleged that the above facts show that Dr. Mallya is under acknowledgement of allegiance and adherence to foreign states. On this ground, the petitioner contends that Dr. Mallya is liable to be disqualified as an MP under Article 102(1)(d) of the Constitution of India.

4. Other than the above bald allegations made in the petition, the petitioner did not submit any supporting document to substantiate the allegations. Therefore, the Commission issued notice to the petitioner on 17.8.2010 to disclose the date from which Dr. Mallya was under acknowledgement of allegiance and adherence to foreign State, as alleged, and also to submit documents/information by which he proposed to substantiate his contention/allegation that Dr. Mallya is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state, within the meaning of Article 102(1)(d) of the Constitution of India.

5. In reply, the petitioner stated that Dr. Mallya is under acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state from 1988 and is continuing to be under such acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state till date. He further stated that Dr. Mallya is also the owner of Newspaper Group 'Marinscope' in Sausolitto, California, he is a resident of Sausalito, CA Belvedre Tiburon, CA Hopland, San Anselmo, CA. and also has residence in Newyork, Columbia and in Britain and properties in African countries.

6. However, the petitioner has neither stated how the abovementioned facts lead to acknowledgement of allegiance or adherence to foreign states, nor furnished any document in support of his contentions. The petitioner, in fact, has gone on to state that all details about Dr. Mallya being under allegiance to foreign state can be had by search on internet.

7. It will be observed from the above that, apart from the petition being vague and unsupported by any document, Dr. Mallya, as per the petitioner's own submission, is under acknowledgement of allegiance or adherence to foreign State since 1988. The current membership of Dr. Mallya in the Rajya Sabha is based on his election on 17th June, 2010, at the biennial election to the Rajya Sabha form the State of Karnataka. It is obviously evident from the above that the case of alleged disqualification of Dr. Mallya, as made out in the present petition, is a case of pre-election disqualification, if at all there is any disqualification.

8. It is well settled that the jurisdiction of the Election Commission to inquire into the question of the alleged disqualification of a sitting member of Parliament, on being referred to it by the President of India under Article 103(2) of the Constitution, arises only in the case of post-election disqualification incurred by such member. Any question of pre-election disqualification, i.e. disqualification from which a member was suffering at the time of, or prior to his election, can be raised by means of an election petition presented in accordance with the provision of Art. 329(b) of the Constitution

read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951, and such question cannot be raised under Article 103(1) of the Constitution of India. Reference is invited, in this connection, to the catena of decisions of the Hon'ble Supreme Court in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609); etc. In a very large number of other similar cases raising the question of pre-election disqualification in the past, the Commission has given similar opinion, on the references made to it by the President and Governors of States.

9. The present reference from the President of India is, accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that the petition dated 14.7.2010 of Shri Satish Babu against Dr. Vijaya Mallya is not maintainable under Article 103(1) of the Constitution of India.

| Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|
| **(H.S. Brahma)** | **(Dr. S.Y.Quraishi)** | **(V. S. Sampath)** |
| **Election Commissioner** | **Chief Election Commissioner** | **Election Commissioner** |

Place : New Delhi.
Dated : 7th December, 2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.